(114)

(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के.मिश्रा,**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक III/निग0/रीवा/भू0रा0/2017/3224 विरूद्ध आदेश दिनांक 07-07-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म.प्र. प्रकरण क्रमांक 127/अपील/2016-17.

लाल बहादुर उर्फ छोटे कोल तनय स्व0 श्री देवशरण कोल
निवासी ग्राम खेरवा तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली (म.प्र.)

..... आवेदक

बनाम

मध्य प्रदेश शासन

.....अनावेदक

श्री सुशील तिवारी अधिवक्ता, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/01/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा द्वारा पारित दिनांक 07-07-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि आवेदक लालबहादुर कोल के पिता देवशरण कोल के द्वारा कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में ग्राम खिरवा तहसील चितरंगी की खात क्रमांक 1926 रकवा 1.08 हे0 एवं 1664 रकवा 0.94 हे0 कुल किता 2 क्षेत्रफल 2.02 हे0 भूमि के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पेश किया था । कलेक्टर सिंगरौली ने आदेश दिनांक 28-3-2016 के द्वारा आवेदक के आवेदन को इस आधार पर खारिज किया कि भूमिस्वामी स्वत्वों का प्रस्तावित अंतरण अनुसूचित जनजाति वर्ग के

आवेदक/विक्रेता के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए आवश्यक नहीं है । एतदर्थ आवेदित अनुज्ञा प्रदान किया जाना उचित नहीं है। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 127/अपील/2016-17 दर्ज कर दिनांक 07-07-2017 को आदेश पारित अपील खारिज की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक लालबहादुर कोल के पिता देवशरण कोल के द्वारा कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में ग्राम खिरवा तहसील चितरंगी की खात क्रमांक 1926 रकवा 1.08 हे0 एवं 1664 रकवा 0.94 हे0 कुल किता 2 क्षेत्रफल 2.02 हे0 भूमि के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पेश किये जाने पर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार से विधिवत प्रतिवेदन मंगाया जिसमें आवेदक द्वारा भूमियों को सिंचाई हेतु उपयुक्त बनाए जाने हेतु कूप व मोटर पम्प की व्यवस्था एवं श्रीमदभागवत कथा कराने का कारण दर्शाया। भूमि के विक्रय के स्थान पर शासकीय योजनाओं का लाभ उठाकर भी आवेदक की समस्या का समाधान हो सकने के कारण कलेक्टर द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त किया। कलेक्टर ने परीक्षण उपरांत आदेश पारित किया है जिसे अपर आयुक्त द्वारा भी उचित पाया है। आवेदक इस न्यायालय में ऐसे कोई कारण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है जिनके आधार पर विक्रय की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायसंगत हो। दर्शित परिस्थितियों में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है।

11/01/19

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर